



पूर्वोत्तर रेलवे
North Eastern Railway


पूर्वोत्तर रेलवे के सहायक नियमों और
परिशिष्टों सहित भारतीय रेल
(चालित लाइन) के साधारण नियम
(संस्करण- 2021)

**General Rules For Indian Railways
(Open Lines)
With Subsidiary Rules & Appendices of
The North Eastern Railway
(Edition 2021)**

तृतीय संस्करण की प्रस्तावना

सामान्य और सहायक नियम पुस्तक गाड़ी संचालन से संबंधित सभी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण अभिलेख है। नया संस्करण 2021 द्विभाषी (हिंदी/अंग्रेजी) रूप में जारी किया जा रहा है, जो कर्मचारियों के लिए विभिन्न नियमों के मूल भावना को सरलता से समझने के लिए अत्यन्त सुविधाजनक होगा।

सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तक का मुद्रण पिछली बार वर्ष 2000 में किया गया था। तब से लेकर अब तक अनेक परिवर्तन हुए हैं और 22 शुद्धि पर्चियाँ जारी की गयी हैं। सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तक 2021 में अब तक जारी किए गए सभी शुद्धि पर्चियों को समाहित किया गया है। इस नियम पुस्तक के मुद्रण में पूर्वोत्तर रेलवे की परिचालन टीम की दूरदर्शिता, समर्पण और कठिन मेहनत से अर्जित की गयी उपलब्धि अति सराहनीय है।



(अनिल कुमार सिंह)

प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबन्धक

PREFACE TO THIRD EDITION

The General and Subsidiary Rule Book is an important document for all the staff related to train operation. The new Edition 2021 is being issued in Diglot (Bilingual-Hindi/English) form which will be extremely convenient for staff to easily comprehend the spirit of various rules.

The General and Subsidiary Rule Book was last printed in 2000. Since then there have been various changes and 22 Amendment Slips had been issued. All the Amendment Slips issued so far have been included in G & SR book 2021. The work of operating team of NER is commendable in printing of this Rule Book which required vision as well as dedication and hard work.




(Anil Kumar Singh)

Principal Chief Operations Manager

प्रस्तावना

1. प्रस्तुत पुस्तक (2021 संस्करण) में निम्नलिखित का समावेश है।
 - (i) रेल अधिनियम (1989 के 24) के अन्तर्गत रेलवे की चालित लाइनों के लिए बनाये गये साधारण नियम जो रेलवे बोर्ड की अधिसूचना संख्या 69-आर.आर/4 दिनांक फरवरी 11, 1976 के अन्तर्गत प्रकाशित किए गये हैं।
 - (ii) पूर्वोत्तर रेलवे के सहायक नियम प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबन्धक के प्राधिकार के अन्तर्गत जारी किए गए।
 - (iii) साधारण नियमों के अधीन प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबन्धक द्वारा जारी किए गये विशेष अनुदेश।
2. साधारण नियम मोटे-मोटे अक्षरों में और सहायक नियम छोटे-छोटे अक्षरों में साधारण नियमों के नीचे लिखे हुए हैं जिनसे उनका सम्बन्ध है। सभी सहायक नियमों के पूर्व "स0नि0" अक्षर लिखा हुआ है। सहायक नियमों का महत्व, प्रभाव एवं मान्यता साधारण नियमों के ही बराबर है। इसके अतिरिक्त 6 परिशिष्ट सामान्य आकार में मुद्रित हैं। रेल अधिनियम 1989 (1989 के 24) के अन्तर्गत पूर्वोत्तर रेलवे का प्रत्येक कर्मचारी सहायक नियमों और विशेष अनुदेशों के पालन के लिए उतना ही बाध्य है जितना साधारण नियमों के पालन के लिए।
3. नियमों की जानकारी : प्रत्येक सम्बन्धित रेल सेवक को साधारण एवं सहायक नियमों की पूर्ण जानकारी कर लेनी चाहिए और उन्हीं के अनुसार तथा अनुरूप से अपने कर्तव्य का पालन करना होगा।
4. शुद्धि पर्चियाँ: प्रत्येक रेल सेवक का यह कर्तव्य है कि वह पुस्तक की अपनी प्रति को अद्यतन रखें। इस पुस्तक के प्रकाशन के बाद के सभी संशोधनों का अभिलेख शुद्धि पर्ची पंजिका में रखा जायेगा। जब किसी नियम में संशोधन किया जाये तो स्याही से नियम के बगल में शुद्धि पर्ची अथवा अन्य अधिसूचना के संदर्भ का उल्लेख कर दिया जाना चाहिए। प्रत्येक रेल कर्मचारी का यह कर्तव्य होगा कि जारी होने पर छपी शुद्धि पर्ची की प्रति प्राप्त कर लें।
5. नियम पुस्तकों को वापस लौटाना : नियम पुस्तक पूर्वोत्तर रेलवे की सम्पत्ति है और इसे रेल सेवा छोड़ने वाले कर्मचारी को रेल प्रशासन को वापस लौटाना होगा।

गोरखपुर
दिनांक 19 जुलाई 2021


(अनिल कुमार सिंह)
प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबन्धक

PREFACE

1. This book (Edition 2021) contains:
 - (i) General Rules for Open Lines of Railways framed under Indian Railways Act 1989 (24 of 1989) as published under Railway Board's Notification No. 69-RR/4, dated 11th February, 1976.
 - (ii) Subsidiary Rules of the North Eastern Railway issued on the authority of the Principal Chief Operations Manager.
 - (iii) Special Instructions issued on the authority of the Principal Chief Operations Manager, under provision of the General Rules.
2. The General Rules are printed in large type and the Subsidiary Rules are printed in small type immediately below the General Rules to which they refer. All subsidiary Rules are prefixed with the letter "SR". The subsidiary Rules have equal importance, force and validity as the General Rules. 6 appendices are exclusively printed in the normal font. Under Railway Act, 1989 (24 of the 1989) all Railway servants on the North Eastern Railway are bound as much by the subsidiary Rules and Special Instructions as they are by the General Rules.
3. Knowledge of the Rules: Every concerned Railway servant must thoroughly acquaint himself with the General and Subsidiary Rules and shall execute his duties in accordance and conformity with them.
4. Correction Memo: It is the duty of every Railway servant to maintain his copy of the book up to date. A record of all amendments made subsequent to the publication of this book shall be kept in the register of Correction Memo. When a Rule is amended, an ink endorsement must be made alongside of the Rule giving reference to the Correction Memo or to other notification. It is the duty of every Railway servant to obtain printed copies of correction Memo, when issued.
5. Surrender of Rule books: This book is the property of the North Eastern Railway and shall be surrendered to the Railway Administration by staff leaving Railway service.

Gorakhpur

Dated: 19.07.2021



(Anil Kumar Singh)

Principal Chief Operations Manager

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं० 69—आर आर/4

नई दिल्ली, दिनांक 11 फरवरी, 1976

संकल्प

यात्रियों, पशुओं अथवा माल के सार्वजनिक यातायात हेतु फिलहाल उपयोग की जा रही तथा राज्य शासित भारतीय (चालित लाइनों) के लिए सामान्य नियम 1976

1. पिछले कुछ वर्षों में सिगनलिंग तथा अन्तर्पाशन, कर्षण प्रणाली तथा नये उपकरणों के प्रयोग द्वारा हुई महत्वपूर्ण प्रगति को ध्यान में रखते हुए, सामान्य नियमों का (जो कि इससे पहले सन् 1929 से संशोधित हुए थे) फिर से संशोधन करना आवश्यक हो गया है। इन नियमों में संशोधन रेल दुर्घटना समिति 1962 और रेल दुर्घटना जाँच समिति 1968 द्वारा भी किया गया था। उन्होंने यह इच्छा प्रकट की थी कि इन नियमों का संशोधन केवल वर्तमान परिस्थितियों ही के अनुरूप न होकर सम्भाव्य भविष्य की परिस्थितियों के भी अनुकूल हो तथा उन्होंने नियमों के मूल स्वरूप को बनाए रखने की आवश्यकता और साथ ही पिछले कुछ वर्षों में हुए तकनीकी परिवर्तनों को सम्मिलित कर लेने पर जोर दिया।
2. इस उद्देश्य से, रेलवे बोर्ड ने 1969 में यातायात और सिगनल विभागों से चुने गये अधिकारियों का एक समिति का गठन किया। समिति ने फरवरी 1970 में नियमों का एक मसौदा बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत किया। रेल संरक्षा आयोग ने जिनकी टिप्पणी भी माँगी गई थी, नियमों के इस मसौदे के अंगीकरण का समर्थन नहीं किया जिसमें कुछ प्रचलित बुनियादी धारणाओं जैसे स्टेशनों के वर्गीकरण, हर श्रेणी के स्टेशन पर न्यूनतम सिगनल व्यवस्था इत्यादि के उन्मूलन का सुझाव दिया गया था। 1971—1972 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में आयोग ने अभिव्यक्त किया कि इन नियमों में जो कि गत् 100 वर्षों से भी अधिक समय से गाड़ी संचालन और उनकी पुर्नव्यवस्था करना वांछनीय नहीं होगा। तदनुसार आयोग ने सामान्य नियमों के मसौदे को अंगीकृत किये जाने का अनुमोदन करने में अपनी असमर्थता रेलवे बोर्ड को सूचित की।
3. रेल संरक्षा आयोग के प्रतिकूल विचारों तथा रेल दुर्घटना समिति 1962 और रेल दुर्घटना जाँच समिति 1968 की अनुकूल सिफारिशों को ध्यान में रखकर रेलवे बोर्ड के यातायात—सदस्य ने सितम्बर 1972 में यह निश्चय किया कि विद्यमान सामान्य नियमों में उक्त विचारों के अनुकूल केवल उन नियमों में संशोधन किया जाये जो कि तकनीकी परिवर्तनों के कारण आवश्यक हो गए हैं या जिनकी उपयोगिता समय के साथ समाप्त हो गई है। अतः रेलवे बोर्ड के संरक्षा निदेशालय ने अन्य निदेशालयों की सलाह लेकर सामान्य नियमों का नये सिरे से संशोधन किया।
4. भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) ने 25 जुलाई, 1974 को अपने पत्र संख्या 68/आर. आ./2/भाग 5, द्वारा रेल प्रशासनों, अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन, रेल संरक्षा आयोग, रेलवे स्टाफ कॉलेज, बड़ोदरा, भारतीय रेलवे सिगनल इंजीनियरी और दूर संचार संस्थान सिकन्दराबाद, भारतीय रेल अग्रिम रेलपथ टेकनालाजी संस्थान पुणे, भारतीय रेल यांत्रिक एवं विद्युत इंजीनियरी संस्थान, जमालपुर आदि को अलोचना और सुझावों के लिए सामान्य नियमों का अंतरिम प्रकाशन संचारित किया।

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS (Railway Board)

No. 69-RR/4

Dated New Delhi, the 11th February, 1976.

RESOLUTION

**General Rules for Indian Railways (Open Lines), 1976 administered by the Government,
and for the time being used for public carriage of passengers, animals or goods.**

1. The considerable advance made in the recent years in method of signalling and interlocking, modes of traction and introduction of new types of equipment necessitated a revision of the General Rules, which had been revised last in 1929, for working open line of Railways in India. The revision of these rules was also advocated by the Railway Accidents Committee, 1962, and the Railway Accidents Inquiry Committee 1968, who desired that the revision of the Rules should be consistent not only with the conditions obtaining at present but likely to obtain in the foreseeable future, and emphasised the need for keeping the basic complexion of rules intact while at the same time providing for technological changes in recent years.
- 2.. For this purpose a Committee composed of officers selected from the Traffic and Signal Departments was appointed by the Railway Board in 1968. The Committee submitted a set of draft rules for consideration by the Board in February 1970. The Commission of Railway Safety, whose comments were also invited, did not favor the adoption of these draft rules, which had proposed the abolition of certain existing fundamental concepts such as classification of stations, minimum equipment of signals for each class of station, etc. In the Annual Report for 1971-72, the Commission stated that a wholesale revision and re-arrangement of the rules which formed the basis of train working and safety of operations for over 100 years and which were ingrained in the minds of thousands of railway staff, would not be desirable. Accordingly, the Commission conveyed to the Railway Board its inability to agree to the adoption of the New General Rules as drafted.
3. In consideration of the strong views expressed by the Commission of Railway Safety and the positive recommendations of the Railway Accidents Committee, 1962, and the Railway Accidents Inquiry Committee, 1968. Member Traffic, Railway Board, decided in September, 1972, that the revision of the existing General Rules should be so undertaken as to be in consonance with these views and to cover such aspects only of the existing rules as require modification in the light of technological changes or where certain existing rules have outlived their use. A fresh revision of the General Rules was accordingly taken up by the Safety Directorate in consultation with other Directorates of the Railway Board.
4. A provisional issue of the revised General Rules was circulated to the Railway Administrations; the Research, Designs and Standards Organisation; the Commission of Railway Safety; Railway Staff College, Vadodara; Indian Railway Institute of Signal Engineering and Telecommunications, Secunderabad; Indian Railways Institute of Advanced Track Technology, Pune; Indian Railways Institute of Mechanical and Electrical Engineering, Jamalpur; etc., for criticism and suggestions under Government of India, Ministry of Railways (Railway Board) letter No.68-RR/2/Vol.V, dated 25-7-1974.

5. रेल प्रशासनों, रेल संरक्षा आयोग, अन्य रेलवे संस्थानों और विधि-मंत्रालय के विस्तृत विचारों और टिप्पणियों पर रेलवे बोर्ड के यातायात सदस्य ने संबंधित निदेशालयों की सलाह लेकर विचार किया। अब राज्य शासित रेलों के लिए सामान्य नियमों का एक पूर्ण संशोधित अंक तैयार होकर केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत हुआ और आज की तारीख की अधिसूचना संख्या 69 – आर. आर. /4से जारी किया गया। यह नियम शासन सरकारी राजपत्र में अधिसूचित करके नियम की गई तारीख से लागू होंगे।
 6. केन्द्रीय सरकार की यह इच्छा है कि उक्त नियम, उन अनेक रेल-प्रशासनों के ध्यान में भी लाए जाए जो कि सरकार द्वारा शासित नहीं हैं और ऐसे रेल प्रशासनों के प्रमुखों से इन नियमों को, प्रत्येक मामले में यथावश्यक संशोधनों सहित (यदि कोई हो) अंगीकृत किये जाने के लिए एक औपचारिक आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए निमंत्रित किया जाये।
- आदेश : आदेश दिया जाता है अनुलग्नकों के साथ इस संकल्प की, एक अधिसूचना के अन्तर्गत सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जाये जैसे कि भारतीय रेल अधिनियम, 1890 (1980 के 9) की धारा 47 द्वारा अपेक्षित है और इसकी एक प्रतिलिपि रेलवे स्टेशनों पर निरीक्षणार्थ रखी जाय जैसा कि उक्तधारा की उपधारा (6) द्वारा आदेशित है। साथ ही इस संकल्प की एक प्रतिलिपि अनुलग्नकों सहित निम्नलिखित सरकारों, प्रशासनों और अधिकारियों को भेजी जाये।

**सदस्य यातायात, रेलवे बोर्ड तथा
पदेन सचिव, भारत सरकार।**

5. The exhaustive views and comments received from the Railway Administrations, the Commission of Railway Safety, other Railway Institutions and the Ministry of Law, having been considered by Member Traffic, Railway Board, in consultation with the concerned Directorates, a complete revised set of General Rules for Railways administered by the Government have now been framed, sanctioned and issued by the Central Government with Notification No. 69-RR/4 of this day's date to be brought into use on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.
 6. The Central Government desire that the said rules may be brought to the notice of the Administrations of the several railways not administered by the Government and that the Heads of Railway Administrations of such railways may be invited to submit a formal application for the adoption of the rules, with such modifications (if any) as may be considered necessary in each case.
- Order : Ordered that this Resolution, with its enclosures, be published under a Notification in the Official Gazette as required by section 47 of the Indian Railways Act. 1980 (9 of 1980), and that a copy thereof be kept open for inspection of railway stations as directed by sub-section (6) of the same section, also that a copy of this Resolution and of its enclosures be communicated to the Governments, Administrations and Officers, noted below, for information.

Member Traffic, Railway Board, and Ex-Officio
Secretary to the Government of India
Documents accompanying:

राज्य शासित भारतीय रेलों (चालित लाइन) के लिए सामान्य नियम, 1976.

अध्यक्ष रेलवे बोर्ड, सचिव संचार, रक्षा, गृह, विधि, न्याय व कम्पनी कार्य, पेट्रोलियम, नौवहन व परिवहन और पर्यटन व नगर विमानन, कृषि, भूतल परिवहन एवं मानव संसाधन मंत्रालय। मुख्य सचिव, आंध्र-प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, गोआ, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडू, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर-प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखण्ड एवं उत्तराखण्ड की सरकारें।

मुख्य सचिव, अंडमान एवं निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, चण्डीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन व द्यू, लक्षद्वीप मनीकाय और अमीनदीवी, मिजोरम और पाण्डीचेरी के प्रशासन।

भारत के अपर उप-नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक (रेलें) एवं पदेन निदेशक रेलवे ऑडिट।

मुख्य आयुक्त, रेल संरक्षा।

आयुक्त, रेल संरक्षा, मध्य, पूर्व, उत्तर, पूर्वोत्तर, दक्षिण, दक्षिण पूर्व, पश्चिम एवं पूर्वोत्तर सीमांत मण्डल।

महाप्रबंधक, मध्य, पूर्व, उत्तर, पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर सीमांत, दक्षिण, दक्षिण मध्य, दक्षिण पूर्व, पश्चिम, पश्चिम मध्य, उत्तर मध्य, पूर्व मध्य, दक्षिण पूर्व मध्य, पूर्व तटीय, दक्षिण पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी रेलवे।

महाप्रबंधक, चितरंजन रेल इंजन कारखाना, डीजल रेल इंजन कारखाना और सवारी डिब्बा कारखाना।

महाप्रबंधक, मेट्रो रेलवे, कोलकाता।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, महानगर परिवहन परियोजनाएं (रेलें), मुंबई, दिल्ली और चेन्नई।
महानिदेशक, अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन, लखनऊ।

प्रिंसिपल, भारतीय रेल अग्रिम रेल पथ प्रौद्योगिकी संस्थान, पुणे, भारतीय रेल यांत्रिक एवं विद्युत इंजीनियरी, संस्थान, जमालपुर, भारतीय रेल सिगनल इंजीनियरी एवं दूर संचार संस्थान, सिकन्दराबाद और रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ोदरा, प्रिंसिपल सभी क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान।

अध्यक्ष, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट रेलवे, कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट रेलवे, कांडला पोर्ट ट्रस्ट रेलवे, चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट रेलवे और विशाखापतनम् पोर्ट ट्रस्ट रेलवे।

महाप्रबंधक, कोंकण रेलवे, केन्द्रीय प्रांत रेल कम्पनी लिमिटेड।

अध्यक्ष, रेल भर्ती बोर्ड, इलाहाबाद, मुंबई, कोलकता, चेन्नई, पटना, रांची, भुवनेश्वर इत्यादि।

अध्यक्ष, रेल दावा प्राधिकरण।

सचिव, भारतीय रेल सम्मेलन।

निदेशक, भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार।

पुस्तकालयाध्यक्ष, केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय, राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता, संसद पुस्तकालय एवं रेलवे बोर्ड पुस्तकालय।

अधीक्षक, पुस्तकालय एवं अनुसंधान, मंत्रालय कानून न्याय एवं कम्पनी मामला।

उपाध्यक्ष, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, रेलवे दावा प्राधिकरण।

प्रबंध निदेशक, राइट्स, इरकॉन, कॉनकोर।

General Rules for Indian Railways (Open Lines), 1976

Administered by the Government. Secretaries, Ministries of Communications; Defence; Home Affairs; Law, Justice and Company Affairs; Petroleum; Shipping and Transport; and Tourism and Civil Aviation.

The Chief Secretaries to the Governments of Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Nagaland, Orissa, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, Tripura, Uttar Pradesh and West Bengal.

The Chief Secretaries, Administrations of Andaman and Nicobar; Arunachal Pradesh; Chandigarh; Dadra and Nagar Haveli; Delhi; Goa, Daman and Diu; Lakshadweep, Minicoy and Amindivi; Mizoram; and Pondicherry.

Additional Deputy Controller and Auditor General of India (Railways) and Ex-Officio Director of Railway Audit.

The Commissioner of Railway Safety.

The Additional Commissioners of Railway Safety, Central, Eastern, Northern, North Eastern, Southern, South Eastern, and Western Circles.

The General Managers, Chittranjan Locomotive Works, Diesel Locomotive Works and Integral Coach Factory.

The General Manager, Metropolitan Transport Project (Railways), Calcutta.

The Chief Administrative Officers, Metropolitan Transport Projects (Railways), Bombay, Delhi and Madras.

The Director General, Research, Designs and Standards Organisation, Lucknow.

The Principals, Indian Railways Institute Advanced Track Technology Pune; Indian Railways Institute of Mechanical and Electrical Engineering, Jamalpur; Indian Railways Institute of Signal Engineering and Telecommunications, Secunderabad; and Railway Staff College, Vadodara.

The Chairman, Bombay Port Trust Railway, Calcutta Port Trust Railway, Kandla Port Trust Railway, Madras Port Trust Railway and Vishakhapatnam Port Trust Railway.

The Managing Agents, Ahmedpur-Katwa Light Railway Company Limited, Bankura-Damodar River Railway Company Limited, Katakhal-Lal Bazar Railway Company Limited and Martin Light Railways.

The General Managers, Bharat Railway, and Central Provinces Railways Company Limited.

The Secretary, Dehri-Rohtas Light Railway Company Limited.

The Chairman, Railway Service Commissions, Allahabad, Bombay, Calcutta and Madras.

The Chairman, Railway Rates Tribunal.

The Secretary, Indian Railways Conference Association.

The Director, National Archives of India.

The Librarians, Central Secretariat Library, National Library, Calcutta, Parliament Library and Railway Board Library.

The Superintendent, Library and Research, Ministry of Law, Justice and Company Affairs.

**प्रकरण
नियम क्रम**

**अध्याय—I
प्रारम्भिक**

नियम	विषय	पृष्ठ संख्या
1.01	संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1
1.02	परिभाषाएं	1
1.03	स्टेशन-वर्गीकरण	6

अध्याय—II

रेल सेवकों पर साधारणतया लागू होने वाले नियम

2.01	नियमों की प्रति देना	7
2.02	नियमों की प्रति की देख-भाल	7
2.03	नियमों की जानकारी	7
2.04	नियम पालन करने में सहयोग	7
2.05	अतिचार, नुकसान या हानि की रोकथाम	7
2.06	नियमों और आदेशों का पालन	8
2.07	ड्यूटी पर उपस्थिति	8
2.08	ड्यूटी से अनुपस्थिति	8
2.09	मदिरा तथा अन्य नशीली, पीनक, बेहोशी, नींद लाने वाली या उत्तेजक दवाओं या उनसे बनी अन्य वस्तुओं का सेवन	8
2.10	रेल सेवकों का आचरण	8
2.11	संरक्षा सुदृढ़ करने का कर्तव्य	8

अध्याय—III

सिगनल

क. साधारण उपबन्ध

3.01	सिगनलों का साधारण उपयोग	11
3.02	सिगनलों के प्रकार	11
3.03	रात्रि सिगनलों का दिन में प्रयोग	11
3.04	सिगनलों तथा सिगनल भुजाओं का स्थापन, सिगनल भुजाओं की पेंटिंग	11

ख. स्थावर सिगनलों का वर्णन

3.05	स्थावर सिगनलों का प्रयोग	12
3.06	चेतावनी (वार्नर) सिगनलों और उनके संकेतों का वर्णन	12
3.07	दूर (डिस्टेंट) सिगनलों तथा उनके संकेतों का वर्णन	15
3.08	रोक (स्टॉप) सिगनलों तथा उनके संकेतों का वर्णन	19
3.09	आने वाली गाड़ियों के लिए स्थावर रोक (स्टॉप) सिगनलों के प्रकार	22
3.10	प्रस्थान करने वाली गाड़ियों के लिए स्थावर रोक (स्टॉप) सिगनलों के प्रकार	22
3.11	मध्यवर्ती ब्लॉक रोक (स्टॉप) सिगनल	22

CONTENTS
ARRANGEMENT OF RULES

CHAPTER I
PRELIMINARY

Rules	Subject	Page No.
1.01	Short title and commencement	1
1.02	Definitions	1
1.03	Classification of stations	6

CHAPTER II

RULES APPLYING TO RAILWAY SERVANTS GENERALLY

2.01	Supply of copies of rules	7
2.02	Upkeep of the copy of rules	7
2.03	Knowledge of rules	7
2.04	Assistance in observance of rules	7
2.05	Prevention of trespass, damage or loss	7
2.06	Obedience to rules and orders	8
2.07	Attendance for duty	8
2.08	Absence from duty	8
2.09	Taking alcoholic drink, sedative, narcotic, stimulant drug or preparation	8
2.10	Conduct of railway servants	8
2.11	Duty of securing safety	8

CHAPTER III

SIGNALS

A. General Provisions

3.01	General use of signals	11
3.02	Kinds of signals	11
3.03	Use of night signals by day	11
3.04	Placing of signals and signal arms; painting of signal arms	11

B. Description of Fixed Signals

3.05	Use of fixed signals	12
3.06	Description of Warner signals and their indications	12
3.07	Description of Distant signals and their indications	15
3.08	Description of Stop signals and their indications	19
3.09	Kinds of fixed Stop signals for approaching trains	22
3.10	Kinds of fixed Stop signals for departing trains	22
3.11	Intermediate Block Stop Signal	22

नियम	विषय	पृष्ठ संख्या
3.12	स्वचालित (ऑटोमेटिक) ब्लॉक क्षेत्रों में स्थावर रोक (स्टॉप) सिगनलों के प्रकार	22
3.13	बुलावा (कॉलिंग-आन) सिगनल	23
3.14	शंट सिगनल	25
3.15	सहकारी (को-एक्टिंग) सिगनल	28
3.16	पुनरावर्ती (रिपीटिंग सिगनल)	28
3.17	सिगनलों के पहचान चिन्ह तथा निशान	30
3.18	प्रयोग में न आने वाले सिगनल	33
3.19	विपथन (डाइवर्जिंग) जंक्शनों पर रोक (स्टॉप) सिगनल लगाना	33
3.20	अभिसारी (कन्वर्जिंग) जंक्शनों पर रोक (स्टॉप) सिगनल लगाना	33
3.21	ब्रैकेट वाले खम्भे, सिगनल पुल या गेन्द्री पर सिगनल लगाना	33
3.22	एक ही खम्भे पर एक से अधिक सिगनल लगाना	34
3.23	विद्युत पुनरावर्तक (रिपीटर)	34
3.24	पीछे की बत्तियाँ	34

ग. सिगनलों के उपस्कर

3.25	स्टेशनों पर स्थावर सिगनल लगाने की जिम्मेदारी	34
3.26	स्थावर सिगनलों को चालू करना	34
3.27	हस्तचालित बहुसंकेती सिगनल वाले स्टेशनों पर स्थावर सिगनलों का न्यूनतम उपस्कर	35
3.28	संशोधित लोअर क्वाड्रेंट सिगनल वाले स्टेशनों पर स्थावर सिगनलों का न्यूनतम उपस्कर	35
3.29	द्विसंकेती सिगनल वाले स्टेशनों पर स्थावर सिगनलों का न्यूनतम उपस्कर	35
3.30	साधारणतया स्टेशनों पर अतिरिक्त स्थावर सिगनल लगाना	35
3.31	'डी' क्लास स्टेशनों पर सिगनल	35
3.32	अग्रिम प्रस्थान (एडवांस्ड स्टार्टर) सिगनल, शंटिंग लिमिट बोर्ड या ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड लगाना।	35
3.33	नियम 3.27,3.28,3.29 तथा 3.32 के अपवाद	36
3.34	समपार (लेविल क्रॉसिंग पर स्थावर सिगनल)	36
3.35	स्टेशन के बाहरी साइडिंगों के कांटों की रक्षा तथा उनका प्रचलन	36

घ. सिगनलों तथा कांटों का प्रचालन

3.36	साधारण तथा स्थावर सिगनल	36
3.37	सिगनलों के स्वाभाविक संकेत	37
3.38	गाड़ियों के संचालन पर प्रभाव डालने वाले कांटे	37
3.39	सम्मुख (फेसिंग) कांटों पर ताला लगाना	38
3.40	निकट (होम) सिगनल को 'ऑफ' करने की शर्तें	38
3.41	बाहरी (आउटर) सिगनल को 'ऑफ' करने की शर्तें	39
3.42	अंतिम रोक (लास्ट स्टॉप) सिगनल या मध्यवर्ती ब्लॉक रोक (स्टॉप) सिगनल को 'ऑफ' करने की शर्तें	39

Rules	Subject	Page No.
3.12	Kinds of fixed Stop signals in Automatic Block territories	22
3.13	Calling-on signals	23
3.14	Shunt signals	25
3.15	Co-acting signals	28
3.16	Repeating signals	28
3.17	Distinguishing markers and signs for signals	30
3.18	Signals out of use	33
3.19	Placing of Stop signals at diverging junctions	33
3.20	Placing of Stop signals at converging junctions	33
3.21	Signals on bracket post or signal bridge or gantry	33
3.22	Placing of more than one signal on the same post	34
3.23	Electric repeater	34
3.24	Back-lights	34
C. Equipment of Signals		
3.25	Obligation to provide fixed signals at stations	34
3.26	Commissioning of fixed signals	34
3.27	Minimum equipment of fixed signals at stations provided with Manually operated multiple-aspect signalling	35
3.28	Minimum equipment of fixed signals at station provided with modified lower quadrant signalling	35
3.29	Minimum equipment of fixed signals at other stations provided with two-aspect signalling	35
3.30	Additional fixed signals at stations generally	35
3.31	Signals at class 'D' stations	35
3.32	Provision of an Advanced Starter, Shunting Limit Board or Block Section Limit Board	35
3.33	Exceptions to Rules 3.27, 3.28, 3.29 and 3.32	36
3.34	Fixed signals at level crossings	36
3.35	Protection and working of points of outlying sidings	36
D. Working of Signals and Points		
3.36	Fixed signals generally	36
3.37	Normal aspect of signals	37
3.38	Points affecting movement of train	37
3.39	Locking of facing points	38
3.40	Conditions for taking 'off' Home signal	38
3.41	Conditions for taking 'off' Outer signal	39
3.42	Conditions for taking 'off' Last Stop Signal or Intermediate Block Stop Signal	39

नियम	विषय	पृष्ठ संख्या
3.43	चेतावनी (वार्नर) सिगनल को 'ऑफ' करने की शर्तें	40
3.44	फाटक रोक (स्टॉप) सिगनल को 'ऑफ' करने की शर्तें	40
3.45	बुलावा (कॉलिंग-आन) सिगनल को 'ऑफ' करने की शर्तें	40
3.46	शटिंग के लिए स्थावर सिगनलों का प्रयोग	40
3.47	एक ही समय में एक से अधिक गाड़ियों के लिए सिगनल का 'ऑफ' करना	40
3.48	द्विसंकेती सिगनल व्यवस्था वाले स्टेशनों पर गाड़ियों को अनियमित रूप से (आउट ऑफकोर्स) रोकना	41
3.49	सिगनल बत्तियों की देख-भाल और उन्हें जलाना	41
3.50	ट्रैप, स्लिप साइडिंग और कैच साइडिंग	42
3.51	कांटे	42
ड. हैण्ड सिगनल		
3.52	हैण्ड सिगनलों का प्रदर्शन	43
3.53	रोक (स्टॉप) हैण्ड सिगनल	43
3.54	'आगे बढ़ो' हैण्ड सिगनल	44
3.55	'सतर्कता से आगे बढ़ो' हैण्ड सिगनल	45
3.56	शटिंग के लिए हैण्ड सिगनल	46
3.57	रोक पताकाएं (बैनर पलैग)	49
3.58	हैण्ड सिगनलों की जानकारी और उन्हें पास रखना	49
च. पटाखा सिगनल		
3.59	पटाखा सिगनलों का वर्णन	49
3.60	पटाखों के प्रयोग की विधि	49
3.61	धुंध, कोहरे या तूफानी मौसम में, जब स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, तो पटाखे रखना	50
3.62	अवरोध होने पर पटाखे लगाना	53
3.63	लाइन पर पटाखों का पुनः रखा जाना	53
3.64	पटाखों की जानकारी और उन्हें पास रखना	53
छ. आने वाली गाड़ी को खतरे की चेतावनी देने वाले सिगनल		
3.65	आने वाली गाड़ी को खतरे की चेतावनी देने वाले सिगनल	56
3.66	चेतावनी सिगनलों का प्रयोग	56
3.67	चेतावनी सिगनल की जानकारी और उनको पास रखना	56
ज. खराब हुए स्थावर सिगनल और कांटे		
3.68	सिगनल में खराबी हो जाने पर स्टेशन मास्टर के साधारण कर्तव्य	56
3.69	आगमन रोक (एप्रोच स्टॉप) सिगनल में खराबी हो जाने पर स्टेशन मास्टर के कर्तव्य	58
3.70	प्रस्थान रोक (स्टॉप) सिगनल में खराबी हो जाने पर स्टेशन मास्टर के कर्तव्य	61
3.71	'ऑफ' स्थिति में खराब हुए चेतावनी (वार्नर) या दूर (डिस्टेंट) सिगनल	61
3.72	रोक (स्टॉप) सिगनल में खराबी हो जाने पर चेतावनी (वार्नर) सिगनल के प्रयोग का निषेध	62
3.73	फाटक रोक (स्टॉप) सिगनल को 'आन' स्थिति में पार करना	62

Rules	Subject	Page No.
3.43	Conditions for taking 'off' Warner signal	40
3.44	Conditions for taking 'off' gate Stop Signal	40
3.45	Conditions for taking 'off' Calling-on Signal	40
3.46	Use of fixed signals for shunting	40
3.47	Taking 'off' signals for more than one train at a time	40
3.48	Stoppage of trains out of course at station provided with two-Aspect signalling	41
3.49	Care and lighting of signal lamps	41
3.50	Traps, slip sidings and catch sidings	42
3.51	Points	42
E. Hand Signals		
3.52	Exhibition of hand signals	43
3.53	Stop hand signal	43
3.54	Proceed hand signal	44
3.55	Proceed with caution hand signal	45
3.56	Hand signals for shunting	46
3.57	Banner flags	49
3.58	Knowledge and possession of hand signals	49
F. Detonating Signals		
3.59	Description of detonating signals	49
3.60	Method of using detonators	49
3.61	Placing of detonators in thick, foggy or tempestuous weather Impairing visibility	50
3.62	Placing of detonators in case of obstruction	53
3.63	Replacement of detonators on the line	53
3.64	Knowledge and possession of detonators	53
G. Flare Signals		
3.65	Description of flare signals	56
3.66	Use of flare signals	56
3.67	Knowledge and possession of flare signals	56
H. Defective fixed Signals and Points		
3.68	Duties of Station Master generally when a signal is defective	56
3.69	Duties of Station Master when an approach Stop signal is defective	58
3.70	Duties of Station Master when a departure Stop signal is defective	61
3.71	Warner or Distant signals defective in the 'off' position	61
3.72	Warner not to be used when a Stop signal is defective	62
3.73	Passing of a gate Stop signal at 'on'	62

नियम	विषय	पृष्ठ संख्या
3.74	स्थावर सिगनल का अभाव या बिना बत्ती का सिगनल	62
3.75	मध्यवर्ती ब्लॉक रोक (स्टॉप) सिगनल को 'आन' स्थिति में पास करना	63
3.76	खराबी दूर हो जाने पर अधिकारियों को सूचना	65
3.77	खराब या नुकसान ग्रस्त कांटे, इत्यादि	65
3.78	सिगनलों के बारे में इंजन के लोको पायलट-दल के कर्तव्य	65
3.79	बुलावा (कॉलिंग आन) सिगनल के संबंध में लोको पायलट के कर्तव्य	67
3.80	आगमन रोक (एप्रोच स्टॉप) सिगनल 'आन' या खराब होने पर लोको पायलट के कर्तव्य	67
3.81	प्रस्थान रोक (स्टॉप) सिगनल 'आन' या खराब होने पर लोको पायलट के कर्तव्य	67
3.82	परिचालित लाइन पर प्रवेश करने या उसे पार करने से पहले अनुमति	68
3.83	सिगनलों के बारे में इंजन लोको पायलट-दल की सहायता	68
3.84	किसी गाड़ी में दो या दो से अधिक इंजन लगे होने पर सिगनलों के सम्बन्ध में लोको पायलटों के कर्तव्य	68
3.85	सिगनलों में खराबी की रिपोर्ट करना	70

अध्याय-IV

साधारणतया गाड़ियों का संचालन

क. गाड़ियों की समय-पाबन्दी तथा उनका परिचालन

4.01	मानक समय	71
4.02	विज्ञापित समय की पाबन्दी	71
4.03	घड़ी मिलाना	71
4.04	गाड़ी के लोको पायलट-दल के लिए उपस्थिति का समय	71
4.05	सही परिचालित लाइन	71
4.06	परिचालन की दिशा	71
4.07	कार्यचालन समय सारिणी (वर्किंग टाइम टेबुल) तथा मानक आयामों की अनुसूची देना	71

ख. गाड़ियों की गति

4.08	साधारण तथा गति सीमाएं	71
4.09	सतर्कता आदेश (कॉशन आर्डर)	72
4.10	सम्मुख (फ्रेसिंग) कांटों पर गति-सीमा	77
4.11	स्टेशनों पर बिना रुके जाने वाली गाड़ियों की गति सीमा	77
4.12	इंजन द्वारा ढकेलना	77
4.13	टेंडर आगे होने पर इंजन की गति-सीमा	78

ग. गाड़ियों और उनके लोको पायलट-दल के उपकरण

4.14	प्रमुख बत्ती (हेड लाइट) और चिन्ह (मार्कर) बत्तियां तथा गति मापी (स्पीडोमीटर)	79
4.15	पिछली (टेल) तथा बगल (साइड) बत्तियां	80
4.16	पिछला (टेल) बोर्ड या पिछली बत्ती (टेल लैम्प)	80
4.17	स्टेशन मास्टर की पास होने वाली गाड़ियों के पिछले (टेल) बोर्ड या पिछली (टेल) बत्ती (लैम्प) के सम्बन्ध में जिम्मेदारी	81
4.18	संचार के साधन	83

Rules	Subject	Page No.
3.74	Absence of a fixed signal or a signal without a light	62
3.75	Passing of Intermediate Block Stop signal at 'on'	63
3.76	Intimation to officials when defects remedied	65
3.77	Defective or damaged Points	65
3.78	Duties of engine crew in respect of signals	65
3.79	Duties of Loco Pilot in respect of a Calling-on signal	67
3.80	Duties of Loco Pilot when an approach Stop Signal is 'on' or defective	67
3.81	Duties of Loco Pilot when a departure Stop signal is 'on' or defective	67
3.82	Permission before entering on or crossing a running line	68
3.83	Assistance of the engine crew regarding signals	68
3.84	Duties of Loco Pilots as to signals when two or more engines are attached to train	68
3.85	Reporting of defects in signals	70

CHAPTER IV

WORKING OF TRAINS GENERALLY

A. Timing and Running of trains

4.01	Standard time	71
4.02	Adherence to advertised time	71
4.03	Setting watch	71
4.04	Time of attendance for train crew	71
4.05	Proper running line	71
4.06	Direction of running	71
4.07	Supply of Working Time Table and Schedule of Standard Dimensions	71

B. Speed of Trains

4.08	Limits of speed generally	71
4.09	Caution Order	72
4.10	Limits of speed over facing points	77
4.11	Limits of speed while running through stations	77
4.12	Engine pushing	77
4.13	Limits of speed with engine tender foremost	78

C. Equipment of Trains and Train Crew

4.14	Head light and marker lights	79
4.15	Tail and side lights	80
4.16	Tail board or tail lamp	80
4.17	Responsibility of Station Master regarding tail board or tail lamp of passing trains	81
4.18	Means of communication	83

नियम	विषय	पृष्ठ संख्या
4.19	गार्ड तथा लोको पायलट के साज-सामान	83
4.20	इंजन चलाने की जिम्मेदारी	84
4.21	विद्युत गाड़ी चलाना	84
4.22	इंजन या टेण्डर पर चलना	85
4.23	ब्रेकयान	85
4.24	गाड़ी में ब्रेकयान का स्थान	85
4.25	गार्ड	86
4.26	युग्मक (कपलिंग)	87
घ. वाहन और क्रेन		
4.27	क्रेन	87
4.28	वाहनों की लदाई	88
4.29	क्षतिग्रस्त या दोषपूर्ण वाहन	89
ङ. गाड़ी चलाने से पूर्व सावधानियां		
4.30	प्रस्थान करने से पूर्व लोको पायलट और गार्ड द्वारा सूचनाओं की जाँच	89
4.31	प्रस्थान करने से पूर्व गाड़ियों की जाँच	89
4.32	लोको पायलट द्वारा गाड़ी की जाँच	91
4.33	लोको पायलट द्वारा एक अथवा बहु-यूनिटों की जाँच	91
4.34	किसी गाड़ी का प्रभार ग्रहण करते समय गार्ड के कर्तव्य	91
4.35	गाड़ियों का प्रस्थान	92
4.36	गार्ड गाड़ी का प्रभारी (इंचार्ज) होगा	93
4.37	स्टेशन सीमा में गार्डों की अधीनता	93
4.38	फायरमैन और सहायक लोको पायलट, लोको पायलटों की आज्ञा मानेंगे	93
4.39	लोको पायलट द्वारा कुछ आदेशों का पालन	93
च. यात्रा के दौरान गाड़ी का संचालन करने वाले कर्मचारियों के कर्तव्य		
4.40	लोको पायलट तथा फायरमैन या सहायक लोको पायलट पूरी तरह निगाह रखेंगे	94
4.41	लोको पायलट तथा फायरमैन या सहायक लोको पायलट पीछे की ओर निगाह रखेंगे	94
4.42	लोको पायलट, गार्ड तथा स्टेशन कर्मचारियों के बीच संकेतों का आदान-प्रदान	94
4.43	गार्ड पूरी तरह निगाह रखेंगे	95
4.44	प्रथम रोक (स्टॉप) सिगनल पर रुकी हुई गाड़ी	95
4.45	लोको पायलट का ध्यान आकर्षित करना	96
4.46	गार्ड के हैण्ड ब्रेक से सहायता	96
4.47	गार्ड का हैण्ड ब्रेक लगाना	96
4.48	इंजन को गाड़ी से काटने के लिए गार्ड की अनुमति	97
4.49	गाड़ी को चलाना तथा रोकना	97
4.50	इंजन सीटी का बजाना	97
4.51	लोको पायलट तथा गार्ड के बीच घंटी संकेत	98
4.52	पानी, आग या सिंडर बाहर फेंकना	99

Rules	Subject	Page No.
4.19	Guard's and Loco Pilot's equipment	83
4.20	Manning of engine in motion	84
4.21	Driving an electric train	84
4.22	Riding on engine or tender	85
4.23	Brake-vans	85
4.24	Position of brake-van on train	85
4.25	Guards	86
4.26	Couplings	87
D. Vehicles and Cranes		
4.27	Cranes	87
4.28	Loading of vehicles	88
4.29	Damaged or defective vehicles	89
E. Precautions before Starting Train		
4.30	Loco Pilot and Guard to examine notices before starting	89
4.31	Examination of trains before starting	89
4.32	Examination of train by Loco Pilot	91
4.33	Examination of single and multiple units by Loco Pilot	91
4.34	Duties of Guard when taking over charge of a train	91
4.35	Starting of trains	92
4.36	Guard to be in charge of train	93
4.37	Subordination of Guards in station limits	93
4.38	Firemen and Assistant Loco Pilots to obey Loco Pilots	93
4.39	Loco Pilot to obey certain orders	93
F. Duties of Staff Working Trains during Journey		
4.40	Loco Pilot and Fireman or Assistant Loco Pilot to keep a good look-out	94
4.41	Loco Pilot and Fireman or Assistant Loco Pilot to look back	94
4.42	Exchange of signals between Loco Pilot, Guard and station staff	94
4.43	Guard to keep a good look-out	95
4.44	Train held up at first Stop signal	95
4.45	Attracting attention of Loco Pilot	96
4.46	Assistance from Guard's hand brake	96
4.47	Application of Guard's hand brake	96
4.48	Permission of Guard to detach engine from train	97
4.49	Starting and stopping of train	97
4.50	Sounding of engine whistle	97
4.51	Bell signals between Loco Pilot and Guard	98
4.52	Throwing out water, fire or cinders	99

नियम	विषय	पृष्ठ संख्या
4.53	होज पाईप या वाटर कॉलम की भुजा	99
4.54	यात्री	99
छ. गाड़ी के पहुंचने पर कर्मचारियों के कर्तव्य		
4.55	पावर बन्द करना	99
4.56	गार्ड यह ध्यान रखेगा कि गाड़ी उल्लंघन चिन्ह (फाउलिंग मार्क) बचाकर ही खड़ी की जाय	99
4.57	इंजन काटना	100
4.58	लोको पायलट यह ध्यान रखेगा कि गाड़ी उल्लंघन चिन्ह (फाउलिंग मार्क) बचाकर ही खड़ी की जाय	100
4.59	सवारी गाड़ी का स्टेशन पर खड़ी होने के बाद चलना	100
4.60	गार्ड गाड़ी को बिना किसी को सौंपे छोड़कर नहीं जाएगा	100
4.61	लोको पायलट ड्यूटी पर रहते हुए, इंजन छोड़ कर नहीं जाएगा	100
ज. मेटेरियल ट्रेन का संचालन		
4.62	ब्लॉक सेक्शन में मेटेरियल ट्रेन का संचालन	101
4.63	मेटेरियल ट्रेन पर चलने वाले कर्मकार	102
4.64	स्थायी रूप से खड़ी हुई (स्टेबिल) मेटेरियल ट्रेन की रक्षा	102
4.65	रेल पथ अनुरक्षण मशीनों का संचालन	103
झ. निजी इंजन तथा वाहन		
4.66	निजी इंजन तथा वाहन	109
अध्याय—V		
स्टेशनों का नियंत्रण तथा कार्यचालन		
5.01	कार्यचालन के लिए स्टेशन मास्टर की जिम्मेदारी	110
5.02	नियमों की प्रतियां देना तथा अन्य दस्तावेजों का वितरण या प्रदर्शन	120
5.03	आदेशों का पालन और पुस्तकें तथा विवरणियां (रिटर्न) रखना	120
5.04	सिगनल केबिन	120
5.05	कर्तव्य पालन में उपेक्षा की रिपोर्ट	121
5.06	स्टेशन संचालन नियम (स्टेशन वर्किंग रूल्स)	121
5.07	प्रारूप (फॉर्म)	121
5.08	उपस्कर तक पहुंच तथा उसका प्रचालन	121
5.09	अवरूद्ध लाइन पर गाड़ी का प्रवेश	121
5.10	सिगनल रहित लाइन पर गाड़ी का प्रवेश	123
5.11	सिगनल रहित लाइन से गाड़ी का प्रस्थान	123
5.12	सामूहिक प्रस्थान सिगनल वाली लाइन से गाड़ी का प्रस्थान	124
5.13	शंटिंग का नियंत्रण	125
5.14	शंटिंग की जिम्मेदारी	125
5.15	केन्द्रीकृत यातायात नियंत्रण (सेन्ट्रलाइज्ड ट्रेफिक कन्ट्रोल) के अधीन स्टेशनों पर शंटिंग	126

Rules	Subject	Page No.
4.53	Hose or water crane	99
4.54	Passengers	99
G. Duties of Staff on Arrival		
4.55	Shutting off power	99
4.56	Guard to see that train is stopped clear of fouling marks	99
4.57	Detaching engine	100
4.58	Loco Pilot to see that train is stopped clear of fouling marks	100
4.59	Moving of train carrying passengers after it has been stopped at a station	100
4.60	Guard not to leave train till handed over	100
4.61	Loco Pilot not to leave engine when on duty	100
H. Working of Material Trains		
4.62	Working of a Material train in a block section	101
4.63	Workers on material train	102
4.64	Protection of material train when stabled	102
4.65	Working of track maintenance machines	103
I. Private Engines and Vehicles		
4.66	Private engines and vehicles	109

CHAPTER V

CONTROL AND WORKING OF STATIONS

5.01	Responsibility of the Station Master for working	110
5.02	Supply of copies of rules and distribution or exhibition of other documents	120
5.03	Obedience to orders and keeping of books and returns	120
5.04	Signal cabins	120
5.05	Report of neglect of duty	121
5.06	Station Working Rules	121
5.07	Forms	121
5.08	Access to and operation of equipment	121
5.09	Reception of a train on an obstructed line	121
5.10	Reception of a train on a non-signalled line	123
5.11	Departure of a train from a non-signalled line	123
5.12	Departure of a train from a line provided with a common departure signal	124
5.13	Control of shunting	125
5.14	Responsibility for shunting	125
5.15	Shunting at stations under Centralised Traffic Control	126

नियम	विषय	पृष्ठ संख्या
5.16	गाड़ियों के प्रवेश के समय शंटिंग	126
5.17	समपार (लेविल क्रॉसिंग) के पास शंटिंग	126
5.18	गाड़ी को अग्रिम स्थिति तक लाना	126
5.19	परिचालित लाइन पर अवरोध	126
5.20	उतार-चढ़ाव पर शंटिंग करना	128
5.21	लूज शंटिंग	129
5.22	वाहनों को स्टेशन सीमा के बाहर साइडिंग में छोड़ना	129
5.23	स्टेशन पर वाहनों को सुरक्षित रखना	129

अध्याय—VI

दुर्घटनाएं और असाधारण घटनाएं

6.01	दुर्घटना या अवरोध	131
6.02	दुर्घटना होने या संचार साधन फेल हो जाने पर रेल संचालन	131
6.03	स्टेशनों के बीच रूकी गाड़ी की रक्षा	132
6.04	असाधारण रूप से विलंबित गाड़ियाँ	136
6.05	दुर्घटना या ब्रेक डाउन की सूचना भेजना	137
6.06	बिना प्रस्थान प्राधिकार के ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी	138
6.07	गाड़ियों के परिचालन पर प्रभाव डालने वाली संभावित दशाओं की रिपोर्ट, नियंत्रक (कंट्रोलर) या केन्द्रीकृत यातायात नियंत्रण(सेन्ट्रलाइज्ड ट्रैफिक कंट्रोल आपरेटर)को देना	138
6.08	गाड़ी का विभाजन	140
6.09	ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी का छूटा हुआ भाग	141
6.10	आग लगना	142
6.11	स्टेशन से वाहनों का निकल भागना	143

अध्याय—VII

संचालन पद्धतियां

7.01	संचालन पद्धतियां	144
7.02	सिगनल तथा गाड़ी के संचालन से सम्बन्धित साधारण नियमों का लागू होना	144

अध्याय—VIII

पूर्ण ब्लॉक पद्धति

क. आवश्यक बातें

8.01	पूर्ण ब्लॉक पद्धति की आवश्यक बातें	145
------	------------------------------------	-----

ख. लाइन क्लीयर देने की शर्तें

8.02	'ए' क्लास स्टेशन पर लाइन क्लीयर देने की शर्तें	145
8.03	'बी' क्लास स्टेशन पर लाइन क्लीयर देने की शर्तें	145
8.04	'सी' क्लास स्टेशन पर लाइन क्लीयर देने की शर्तें	147

Rules	Subject	Page No.
5.16	Shunting during reception of trains	126
5.17	Shunting near level crossing	126
5.18	Drawing of train to an advanced position at night or in thick, foggy or tempestuous weather impairing visibility	126
5.19	Obstruction of running line	126
5.20	Shunting on gradients	128
5.21	Loose shunting	129
5.22	Leaving vehicles in sidings outside station limits	129
5.23	Securing of vehicles at station	129

CHAPTER VI

ACCIDENT AND UNUSUAL OCCURRENCES

6.01	Accident or obstruction	131
6.02	Working in case of accident or failure of communications	131
6.03	Protection of trains stopped between stations	132
6.04	Trains unusually delayed	136
6.05	Sending advice of accident or breakdown	137
6.06	Train in a block section without authority to proceed	138
6.07	Report of conditions likely to affect running of trains to Controller Or Centralised Traffic Control Operator	138
6.08	Train parting	140
6.09	Portion of train left in a block section	141
6.10	Fire	142
6.11	Vehicles escaping from station	143

CHAPTER VII

SYSTEMS OF WORKING

7.01	Systems of working	144
7.02	Applicability of General Rules referring to the working of signals and trains	144

CHAPTER VIII

THE ABSOLUTE BLOCK SYSTEM

A. Essentials

8.01	Essentials of the Absolute Block System	145
B. Conditions for granting Line Clear		
8.02	Conditions for granting Line Clear at a Class 'A' station	145
8.03	Conditions for granting Line Clear at a Class 'B' station	145
8.04	Conditions for granting Line Clear at a Class 'C' station	147

नियम	विषय	पृष्ठ संख्या
ग. अवरोध—दोहरी (डबल) लाइन		
8.05	दोहरी (डबल) लाइन के ब्लॉक स्टेशन पर गाड़ी आते समय अवरोध	147
8.06	दोहरी (डबल) लाइन वाले ब्लॉक सेक्शन में अवरोध	147
घ. अवरोध इकहरी (सिंगिल) लाइन		
घ-1 'ए' क्लास स्टेशन		
8.07	गाड़ी आते समय इकहरी (सिंगिल) लाइन 'ए' क्लास स्टेशन पर अवरोध	148
8.08	इकहरी (सिंगिल) लाइन 'ए' क्लास स्टेशन पर ब्लॉक सेक्शन अवरुद्ध करना	148
घ-2 'बी' क्लास स्टेशन		
8.09	इकहरी (सिंगिल) लाइन 'बी' क्लास स्टेशन पर आती हुई गाड़ी के मार्ग में अवरोध	148
8.10	इकहरी (सिंगिल) लाइन 'बी' क्लास स्टेशन पर स्टेशन सेक्शन में अवरोध	148
8.11	इकहरी (सिंगिल) लाइन द्विसंकेती सिगनल वाले 'बी' क्लास स्टेशन पर स्टेशन सेक्शन के बाहर अवरोध	149
8.12	इकहरी (सिंगिल) लाइन पर हस्तचालित बहु-संकेती सिगनल वाले 'बी' क्लास स्टेशन के स्टेशन सेक्शन के बाहर अवरोध	149
8.13	इकहरी (सिंगिल) लाइन 'बी' क्लास स्टेशन पर प्रथम रोक (स्टॉप) सिगनल के बाहर अवरोध	149
ङ. साधारण उपबन्ध		
8.14	ब्लॉक बैक या ब्लॉक फारवर्ड	149
8.15	ब्लॉक सेक्शन में शंटिंग या अवरोध के लिए प्राधिकार	149
8.16	दृष्टांत चित्र	150
अध्याय—IX		
स्वचालित (ऑटोमेटिक) ब्लॉक पद्धति		
क. दोहरी (डबल) लाइन पर लागू नियम		
9.01	दोहरी (डबल) लाइन पर स्वचालित ब्लॉक पद्धति की आवश्यक बातें	156
9.02	यदि दोहरी (डबल) लाइन पर स्वचल रोक (स्टॉप) सिगनल को 'आन' स्थिति में पास करना है तो उस समय लोको पायलट तथा गार्ड के कर्तव्य	157
ख. इकहरी (सिंगिल) लाइन पर लागू नियम		
9.03	इकहरी (सिंगिल) लाइन पर स्वचालित ब्लॉक पद्धति की आवश्यक बातें	158
9.04	इकहरी (सिंगिल) लाइन पर स्वचालित ब्लॉक क्षेत्र में स्थावर सिगनलों का न्यूनतम उपस्कर	160
9.05	इकहरी (सिंगिल) लाइन पर स्वचालित ब्लॉक क्षेत्र में अतिरिक्त स्थावर सिगनल	160
9.06	इकहरी (सिंगिल) लाइन पर स्वचालित ब्लॉक क्षेत्र में हस्तचालित रोक (स्टॉप) सिगनलों को 'ऑफ' करने की शर्तें	160
9.07	यदि इकहरी (सिंगिल) लाइन पर स्वचल रोक (स्टॉप) सिगनल को 'आन' स्थिति में पास करना है तो उस समय लोको पायलट तथा गार्ड के कर्तव्य	161
9.08	इकहरी (सिंगिल) लाइन पर स्वचालित ब्लॉक पद्धति में गाड़ियों के संचालन का प्रभारी (इंचार्ज) व्यक्ति	162

Rules	Subject	Page No.
C. Obstruction - Double Line		
8.05	Obstruction on double line at a block station when a train is Approaching	147
8.06	Obstruction on double line in the block section	147
D. Obstruction - Single Line		
D1. Class 'A' Stations		
8.07	Obstruction on single line at a class 'A' station when a train is approaching	148
8.08	Obstructing the block section at a class 'A' station on a single line	148
D2. Class 'B' Stations		
8.09	Obstruction in the face of an approaching train at a class 'B' station on single line	148
8.10	Obstruction within station section at a Class 'B' station on single line	148
8.11	Obstruction outside station section at a Class 'B' single line station equipped with two-aspect signals	149
8.12	Obstruction outside station section at a Class 'B' single line station equipped with manually operated multiple-aspect signals	149
8.13	Obstruction outside the first Stop signal at a Class 'B' station on single line	149
E. General Provisions		
8.14	Block back or Block forward	149
8.15	Authority for shunting or obstruction in block section	149
8.16	Illustrative diagrams	150

CHAPTER IX

THE AUTOMATIC BLOCK SYSTEM

A. Rules applicable to Double Line

9.01	Essentials of the Automatic Block System on double line	156
9.02	Duties of Loco Pilot and Guard when an Automatic Stop signal on Double line is to be passed at 'On'.	157

B. Rules applicable to Single Line

9.03	Essentials of the Automatic Block System on single line	158
9.04	Minimum equipment of fixed signals in Automatic Block territory on single line	160
9.05	Additional fixed signals in Automatic Block territory on single line	160
9.06	Conditions for taking 'off' Manual Stop signals in automatic Block territory on single line	160
9.07	Duties of Loco Pilot and Guard when an Automatic Stop Signal on single line is to be passed at 'On'	161
9.08	Person in charge of working trains on Automatic Block System on single line	162

नियम	विषय	पृष्ठ संख्या
ग. दोहरी (डबल) तथा इकहरी (सिंगल) दोनों लाइनों पर लागू नियम		
9.09	केन्द्रीकृत यातायात नियंत्रण (सेंट्रलाइज्ड ट्रैफिक कंट्रोल) क्षेत्र में गाड़ियों का संचालन	163
9.10	स्वचालित ब्लॉक सिगनल सेक्शन में रूकी गाड़ी की रक्षा	163
9.11	लोको पायलट द्वारा खराबियों की रिपोर्ट	163
9.12	स्वचालित सिगनल व्यवस्था बिगड़ जाने पर कार्यविधि	164
9.13	स्वचालित ब्लॉक पद्धति या यातायात की दिशा के विपरीत गाड़ियों का संचालन	164
9.14	यदि अर्धस्वचल रोक (स्टॉप) सिगनल 'आन' स्थिति में होने पर कार्यविधि	165
9.15	स्वचालित सिगनल व्यवस्था क्षेत्र में फाटक रोक (स्टॉप) सिगनल को 'आन' स्थिति में पास करना	165
9.16	दृष्टांत चित्र	166

अध्याय—X

अनुगामी गाड़ी पद्धति

10.01	अनुगामी गाड़ी पद्धति की आवश्यक बातें	168
10.02	रेल संरक्षा आयुक्त को रिपोर्ट भेजना	168
10.03	अनुगामी गाड़ी पद्धति पर गाड़ियों के संचालन के लिए अनुपालनीय शर्तें	168
10.04	अनुगामी गाड़ी पद्धति पर लोको पायलट या गार्ड को प्रस्थान प्राधिकार देना	169
10.05	अनुगामी गाड़ी पद्धति पर प्रस्थान प्राधिकार	169
10.06	अनुगामी गाड़ी पद्धति पर प्रस्थान प्राधिकार को उचित रूप से तैयार करने की जिम्मेदारी	170
10.07	अनुगामी गाड़ी पद्धति पर आती हुई गाड़ी या गाड़ियों के मार्ग में अवरोध	170
10.08	अनुगामी गाड़ी पद्धति के अनुसार संचालन की समाप्ति	170
10.09	अनुगामी गाड़ी पद्धतियों पर गाड़ियों की रक्षा	170

अध्याय—XI

पायलट गार्ड पद्धति

11.01	पायलट गार्ड पद्धति की आवश्यक बातें	171
11.02	पायलट गार्ड पद्धति पर अनुगामी गाड़ियों के लिए अनुपालनीय शर्तें	171
11.03	पायलट गार्ड की वर्दी या बिल्ला	171
11.04	पायलट गार्ड का गाड़ी पर जाना या प्रस्थान प्राधिकार देना	171
11.05	पायलट गार्ड के टिकट	171
11.06	पायलट गार्ड पद्धति पर गाड़ियों की रक्षा	171

अध्याय —XII

ट्रेन—स्टाफ और टिकट पद्धति

12.01	ट्रेन स्टाफ और टिकट पद्धति की आवश्यक बातें	172
12.02	यह पद्धति कहां लागू होगी	172
12.03	ट्रेन स्टाफ और टिकट पद्धति पर अनुगामी गाड़ियों के लिए अनुपालनीय शर्तें	172

Rules	Subject	Page No.
C. Rules applicable to both Double and Single Lines		
9.09	Working of trains on Centralised Traffic Control territory	163
9.10	Protection of a train stopped in an Automatic block signalling section	163
9.11	Loco Pilot to report failures	163
9.12	Procedure during failure of Automatic signalling	164
9.13	Movement of trains against the direction of traffic on the Automatic Block System	164
9.14	Procedure when Semi-Automatic Stop signal is 'On'	165
9.15	Passing a gate Stop signal at 'on' in Automatic signalling territory	165
9.16	Illustrative diagrams	166

CHAPTER X

THE FOLLOWING TRAINS SYSTEM

10.01	Essentials of the Following Trains System	168
10.02	Report to the Commissioner of Railway Safety	168
10.03	Conditions to be observed in working trains on the Following Train System	168
10.04	Delivery of authority to proceed to Loco Pilot or Guard on the Following Trains System	169
10.05	Authority to proceed on the Following Trains System	169
10.06	Responsibility as to proper preparation of authority to proceed on the Following Trains System	170
10.07	Obstruction in face of approaching train or trains on the Following Trains System	170
10.08	Cessation of working on the Following Trains System	170
10.09	Protection of trains on the Following Trains System	170

CHAPTER XI

THE PILOT GUARD SYSTEM

11.01	Essentials of the Pilot Guard System	171
11.02	Conditions to be observed for following trains on the Pilot Guard System	171
11.03	Pilot Guard's dress or badge	171
11.04	Pilot Guard to accompany train or give authority to proceed	171
11.05	Pilot Guard's Tickets	171
11.06	Protection of trains on the Pilot Guard System	171

CHAPTER XII

THE TRAIN-STAFF AND TICKET SYSTEM

12.01	Essentials of the Train-staff and Ticket System	172
12.02	System where applicable	172
12.03	Conditions to be observed for following trains on the Train-staff And Ticket System	172

नियम	विषय	पृष्ठ संख्या
12.04	लोको पायलट के पास ट्रेन स्टाफ या ट्रेन स्टाफ टिकट का होना	172
12.05	ट्रेन स्टाफ या ट्रेन स्टाफ टिकट लोको पायलट को कौन देगा	172
12.06	ट्रेन स्टाफ या ट्रेन स्टाफ टिकट लोको पायलट को कब दिया जाएगा	172
12.07	ट्रेन स्टाफ का इंजन पर रहना	173
12.08	जब तक ट्रेन स्टाफ वापस नहीं आ जाता तब तक गाड़ियों को प्रस्थान न करने दिया जाय	173
12.09	गाड़ी पहुंचने पर ट्रेन स्टाफ या ट्रेन स्टाफ टिकट का सौंपा जाना और टिकट को रद्द करना	173
12.10	ट्रेन स्टाफ और टिकट पद्धति में इंजन के असमर्थ हो जाने पर कार्यविधि	173
12.11	ट्रेन स्टाफ टिकट रखने की विधि	173
12.12	ट्रेन स्टाफ रखने की विधि	174
12.13	ट्रेन स्टाफ टिकटों और बक्सों पर पहचान चिन्ह	174
12.14	ट्रेन स्टाफ टिकटों का प्रारूप (फार्म)	174
12.15	जारी किए गए ट्रेन स्टाफ टिकटों का अभिलेख (रिकार्ड)	174
12.16	निकट (होम) सिगनल के बाहर अवरोध	174
12.17	ट्रेन स्टाफ और टिकट पद्धति में गाड़ियों की रक्षा	174

अध्याय—XIII

केवल एक गाड़ी पद्धति

13.01	केवल एक गाड़ी पद्धति का प्रयोग	175
13.02	केवल एक गाड़ी पद्धति की आवश्यक बातें	175
13.03	सेक्शन में प्रवेश करने का प्राधिकार	175
13.04	केवल एक गाड़ी पद्धति में दुर्घटना होने या गाड़ी के असमर्थ हो जाने पर कार्यविधि	176

अध्याय—XIV

ब्लॉक प्रचालन

क. साधारण उपबन्ध

14.01	लाइन क्लीयर देने या लेने के साधन	177
14.02	यंत्रों की व्यवस्था	177
14.03	ब्लॉक प्रचालन उपस्कर में हस्तक्षेप करने से पहले सहमति आवश्यक	177

ख. विद्युत ब्लॉक यंत्र, ट्रैक सफ़्ट अथवा धुरी काउण्टरों से व्यवस्थित ब्लॉक स्टेशन

14.04	सक्षमता प्रमाण पत्र (सर्टिफिकेट ऑफ कम्पीटेन्सी)	178
14.05	घंटी कोड	178
14.06	घंटी संकेतों की अभिस्वीकृति	179
14.07	गाड़ी सिगनल रजिस्टर	179
14.08	प्रस्थान प्राधिकार	181
14.09	लोको पायलट द्वारा प्रस्थान प्राधिकार की जाँच	181
14.10	ब्लॉक सेक्शन बन्द करने की शर्तें	182

Rules	Subject	Page No.
12.04	Loco Pilot to have Train-staff or Train-staff Ticket	172
12.05	Train-staff or Train-staff Ticket : by whom to be delivered to Loco Pilot	172
12.06	Train-staff or Train-staff Ticket : when to be delivered to Loco Pilot	172
12.07	Train-staff to be kept on engine	173
12.08	Trains not to be started until Train-staff returned	173
12.09	Train-staff or Train-staff Ticket to be given and Ticket to be Cancelled on arrival of train	173
12.10	Procedure when engine is disabled on the Train staff and Ticket System	173
12.11	Train-staff Tickets : how kept	173
12.12	Train-staff : how kept	174
12.13	Distinguishing marks on Train-staff Tickets and boxes	174
12.14	Form of Train-staff Ticket	174
12.15	Record of Train-staff Tickets issued	174
12.16	Obstruction outside the Home signal	174
12.17	Protection of trains on the Train-staff and Ticket System	174

CHAPTER XIII

THE ONE TRAIN ONLY SYSTEM

13.01	Use of the one Train only system	175
13.02	Essentials of one Train only system	175
13.03	Authority to enter the section	175
13.04	Procedure in case of accident or disablement on the one Train only System	176

CHAPTER XIV

BLOCK WORKING

A. General Provisions

14.01	Means of granting or obtaining Line Clear	177
14.02	Provisions of instruments	177
14.03	Consent required before interfering with block working equipment	177

B. Block Stations at which Electrical Block Instruments, Track Circuits or Axle Counters are provided

14.04	Certificate of Competency	178
14.05	Bell Code	178
14.06	Acknowledgment of signals	179
14.07	Train Signal Register	179
14.08	Authority to proceed	181
14.09	Loco Pilot to examine authority to proceed	181
14.10	Conditions for closing the block section	182

नियम	विषय	पृष्ठ संख्या
14.11	प्रस्थान प्राधिकार की बाबत स्टेशन मास्टर की जिम्मेदारी	182
14.12	विद्युत टोकन यंत्रों और टोकन की बाबत विशेष जिम्मेदारी	182
14.13	विद्युत ब्लॉक यंत्रों या ट्रैक सर्किटों अथवा धुरी काउण्टरों में खराबी आ जाना	183
14.14	मध्यवर्ती ब्लॉक पोस्ट को बन्द करना	184
ग. बिना विद्युत ब्लॉक यंत्र वाले ब्लॉक स्टेशन		
14.15	संकेत भेजना	184
14.16	गाड़ी सिगनल रजिस्टर	184
14.17	संदेशों और लिखित प्रस्थान प्राधिकार के प्रारूप (फार्म)	184
14.18	संदेशों की विशिष्टता	184
14.19	संदेशों और लिखित प्रस्थान प्राधिकारों का लिखा जाना और उन पर हस्ताक्षर	185
14.20	संदेशों की सम्पूर्णता	185
14.21	संदेशों और लिखित प्रस्थान प्राधिकारों का परिरक्षण	185
14.22	लाइन क्लीयर रद्द करना	185
14.23	प्रस्थान प्राधिकार का लोको पायलट के पास होना	185
14.24	लोको पायलट को प्रस्थान प्राधिकार कब दिया जाए	185
घ. लाइन क्लीयर टिकट		
14.25	लाइन क्लीयर टिकट	185
ङ. ब्लॉक कार्यचालन उपस्कर का प्रयोग तथा प्रचालन		
14.26	ब्लॉक कार्यचालन उपस्कर का प्रयोग तथा प्रचालन	185

अध्याय –XV

रेल पथ और निर्माण कार्य

क. रेल पथ और निर्माण कार्य पर लगे रेल सेवक

15.01	रेल पथ और निर्माण कार्य की दशा	186
15.02	लाइन का अनुरक्षण	186
15.03	सामान की देखभाल	186
15.04	रेल पथ और निर्माण कार्य का निरीक्षण	186
15.05	लाइनों पर गश्त (पेट्रोलिंग) लगाना	187
15.06	गाड़ियों या यातायात को खतरा पैदा करने वाले कार्य	188
15.07	धुंध, कोहरे या तूफानी मौसम में जब स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, काम करना	191
15.08	लाइन में अवरोध डालने वाले काम प्रारम्भ करने से पहले सावधानी	192
15.09	सिगनल दिखाना	193
15.10	गाड़ियों की रक्षा में सहायता	198
15.11	प्रत्येक गैंग का गैंग मेट	198
15.12	सिगनलों की जानकारी और गैंग का साज सामान	198
15.13	गेजों, सिगनलों, औजारों तथा उपकरणों का निरीक्षण	198
15.14	लाइन की संरक्षा के लिए गैंग मेट की जिम्मेदारी	199
15.15	बारूद विस्फोटन	199

Rules	Subject	Page No.
14.11	Responsibility of Station Master as to authority to proceed	182
14.12	Special responsibility as to electrical token instruments and to the token	182
14.13	Failure of electrical block instruments or track circuits or axle counters	183
14.14	Closing of Intermediate Block Post	184
C. Block Stations at which Electrical Block Instruments are not provided		
14.15	Transmission of signals	184
14.16	Train Signal Register	184
14.17	Forms for messages and written authority to proceed	184
14.18	Distinction of messages	184
14.19	Writing and signing of messages and written authorities to proceed	185
14.20	Completion of messages	185
14.21	Preservation of messages and written authorities to proceed	185
14.22	Cancellation of Line Clear	185
14.23	Loco Pilot to have authority to proceed	185
14.24	Authority to proceed : when to be given to Loco Pilot	185
D. Line Clear Tickets		
14.25	Line Clear Tickets	185
E. Use and Operation of Block Working Equipment		
14.26	Use and Operation of Block Working Equipment	185

CHAPTER XV

PERMANENT WAY AND WORKS

A. Railway Servants employed on the Permanent Way or Works

15.01	Condition of Permanent Way and Works	186
15.02	Maintenance of line	186
15.03	Keeping of material	186
15.04	Inspection of Permanent Way and Works	186
15.05	Patrolling of lines	187
15.06	Work involving danger to trains or traffic	188
15.07	Work in thick, foggy or tempestuous weather impairing visibility	191
15.08	Precautions before commencing operations that would obstruct The line	192
15.09	Showing of signals	193
15.10	Assistance in protection of trains	198
15.11	Gangmate in each gang	198
15.12	Knowledge of signals and equipment of gang	198
15.13	Inspection of gauges, signals, tools and implements	198
15.14	Responsibility of Gangmate as to safety of line	199
15.15	Blasting	199

नियम	विषय	पृष्ठ संख्या
15.16	कांटे या कैचियां (क्रॉसिंग) लगाना या हटाना	199
15.17	खतरे की आशंका होने पर गैंग मेट और गैंग मैन के कर्तव्य	199
ख. लॉरियों, ट्रॉलियों और मोटर ट्रॉलियों का संचालन		
15.18	ट्रॉली, लॉरी और मोटर ट्रॉली में भेद	201
15.19	लाल झण्डी या बत्ती का दिखाया जाना	204
15.20	ट्रॉली, लॉरी या मोटर ट्रॉली के साज सामान	204
15.21	कारगर ब्रेक	204
15.22	लॉरी या ट्रॉली के लाइन पर होने के समय योग्यता प्राप्त व्यक्ति ही उसका प्रभारी होगा	204
15.23	गाड़ी के साथ जोड़ने का निषेध	208
15.24	चलाने का समय	208
15.25	मोटर ट्रॉली	209
15.26	लाइन पर ट्रॉली की रक्षा	216
15.27	लाइन पर लॉरी की रक्षा	216
15.28	लॉरियों या ट्रॉलियों जो प्रयोग में न हों	218

अध्याय –XVI

समपार (लेविल क्रॉसिंग)

16.01	सिगनलों की जानकारी	219
16.02	साज-सामान देना तथा उनकी देखभाल	219
16.03	सड़क यातायात	220
16.04	पास होने वाली गाड़ियों को फाटक वाला ध्यान से देखें	222
16.05	पहियों की कोर (फ्लेंज आफ व्हील्स) के लिए चैनल	222
16.06	समपार (लेविल क्रॉसिंग) पर खराबियां	222
16.07	समपार (लेविल क्रॉसिंग) पर अवरोध	223
16.08	गाड़ी का विभाजन	224
16.09	अतिचार (ट्रेसपास)	224
16.10	फाटक के भारसाधन (चार्ज का अन्तरण)	224
16.11	ऊँचाई मापी (हाइट गेज)	224

अध्याय –XVII

रेलों के विद्युतीकृत (इलेक्ट्रीफाइड) सेक्शनों पर गाड़ियों का संचालन

17.01	साधारण नियमों का लागू होना	225
17.02	इस अध्याय पर लागू विशेष परिभाषाएं	225
17.03	विद्युत रेल पथ तथा निर्माण कार्य निरीक्षण	229
17.04	विद्युत उपस्कर पर कार्य करने की अनुमति	230
17.05	कर्मचारियों तथा जनता की चेतावनी	231
17.06	रेल पथ में परिवर्तन	231

Rules	Subject	Page No.
15.16	Putting in or removing points or crossing	199
15.17	Duties of Gangmate and Gangman when apprehending danger	199
B. The Working of Lorries, Trolleys and Motor Trolleys		
15.18	Distinction between trolley, lorry and motor trolley	201
15.19	Red flag or light to be shown	204
15.20	Equipment of trolley, lorry or motor trolley	204
15.21	Efficient brakes	204
15.22	Qualified person to be in charge of lorry or trolley when on the line	204
15.23	Attachment to train prohibited	208
15.24	Time of running	208
15.25	Motor trolley	209
15.26	Protection of trolley on the line	216
15.27	Protection of lorry on the line	216
15.28	Lorries and trollies out of use	218

CHAPTER XVI

LEVEL CROSSINGS

16.01	Knowledge of signals	219
16.02	Supply and care of equipment	219
16.03	Road traffic	220
16.04	Gateman to observe passing trains	222
16.05	Channel for flange of wheels	222
16.06	Defects at level crossings	222
16.07	Obstructions at level crossings	223
16.08	Parting of a train	224
16.09	Trespassing	224
16.10	Transfer of charge of gate	224
16.11	Height gauges	224

CHAPTER XVII

WORKING OF TRAINS ON ELECTRIFIED SECTIONS OF RAILWAYS

17.01	Applicability of General Rules	225
17.02	Special definition applicable to this chapter	225
17.03	Inspection of electrical way and works	229
17.04	Permit-to-work on electrical equipment	230
17.05	Warning to staff and public	231
17.06	Alterations to track	231

नियम	विषय	पृष्ठ संख्या
17.07	निरावेशित (न्यूट्रल) सेक्शनों में रेल इंजनों और विद्युत बहु-यूनिटों के सर्किट ब्रेकर्स का ट्रिप हो जाना	231
17.08	टावर वैगन	232
17.09	विद्युतीकृत सेक्शनों के लिए अतिरिक्त नियम	233

अध्याय –XVIII

विविध

18.01	निरसन एवं बचत	238
-------	---------------	-----

परिशिष्ट—'क'

239–245

पटाखों की आपूर्ति तथा उपयोग एवं कुहासा सिगनल रजिस्टर के रख-रखाव संबंधी विशेष अनुदेश

परिशिष्ट—ख'

भाग—I

दोहरी लाइन सेक्शनों पर संचार साधनों की पूर्ण बाधा की अवधि में गाड़ियों के संचालनके लिये नियम तथा विनियम

246–248

भाग—II

इकहरी लाइन सेक्शनों पर संचार साधनों की पूर्ण बाधा की अवधि में गाड़ियों के संचालन के लिये नियम तथा विनियम

249–257

भाग—III

दोहरी लाइन पर संचार साधनों में पूर्ण बाधा की अवधि में इकहरी लाइन की कार्य प्रणाली

257–258

भाग—IV

दोहरी लाइन के सेक्शन पर एक लाइन के अवरुद्ध होने की स्थिति में इकहरी लाइन की कार्यप्रणाली के नियम तथा विनियम

258–261

परिशिष्ट – 'ग'

भाग—I

ऐसे स्टेशन जहाँ प्रारम्भिक (रूडिमेंटरी) अन्तर्पाशन या संशोधित चाबी द्वारा बन्द करने (माडीफाइड की लाकिंग) की व्यवस्था है, कार्य संचालन के लिये विशेष अनुदेश

262–263

भाग—II

ऐसे स्टेशन जहाँ अन्तर्पाशन मानक I (विशेष) की व्यवस्था है, कार्य संचालन के लिये विशेष अनुदेश

263–266

परिशिष्ट – 'घ'

267–277

रेल के इकहरी लाइन के ऐसे सेक्शनों पर, जहाँ विद्युत ब्लाक यन्त्र की व्यवस्था नहीं है या यह प्रयोग में नहीं है, पूर्ण ब्लाक पद्धति के अन्तर्गत विद्युत संचार यन्त्रों द्वारा गाड़ियों के संचालन के लिये विशेष अनुदेश

267

1. लागू होना 267
2. गाड़ी संदेश 267
3. लाइन क्लीयर पूछ-ताछ 267

Rules	Subject	Page No.
17.07	Tripping of circuit breakers of locomotives and electrical multiple Units at neutral sections	231
17.08	Tower wagon	232
17.09	Additional rules for electrified sections	233

**CHAPTER XVIII
MISCELLANEOUS**

18.01	Repeal and Saving	238
-------	-------------------	-----

Appendix – ‘A’ 239-245

Special Instructions for supply and use of Fog signals and maintenance of Fog Signal Register

Appendix – ‘B’

Part –I

Rules and Regulations for running of trains on Double Line sections during total interruption of communication	246-248
--	---------

Part – II

Rules and Regulations for working of trains during total interruption of communication on Single Line	249-257
---	---------

Part – III

Single Line working on Double Line during total interruption of communication	257-258
---	---------

Part – IV

Rules and Regulations for Single Line working on a Double Line when one line is obstructed	258-261
--	---------

Appendix – ‘C’

Part –I

Special instructions for Working Stations equipped with Rudimentary Interlocking and Modified Key Locking.	262-263
--	---------

Part –II

Special Instructions for working Stations equipped with Standard I (Special) Interlocking.	263-266
--	---------

Appendix – ‘D’ 267-277

Special instructions for Working of Trains on the Absolute Block System on Single Line of Railway by means of Electrical Communication Instruments where Electric Block Instruments are not provided or are not in use	267
1. Application	267
2. Train Messages	267
3. Line Clear Enquiry	267

4.	लाइन क्लीयर रिप्लाइ	268
5.	प्राइवेट नम्बर	268
6.	प्रस्थान प्राधिकार	269
7.	लाइन क्लीयर टिकट	270
8.	गाड़ी संदेश की पुस्तकें	272
9.	लाइन क्लीयर पूछ-ताछ के संदेश	273
10.	पूछ-ताछ संदेश का उत्तर जब लाइन क्लीयर दिया जा सकता है	273
11.	पूछ-ताछ संदेश का उत्तर जब गाड़ियों को रोकना है	274
12.	निरस्तीकरण संदेश	274
13.	प्रस्थान सूचना	276
14.	आगमन सूचना	276
15.	गिट्टी गाड़ी का लाइन क्लीयर	276
16.	विद्युत टेलीग्राफ की विफलता	277

परिशिष्ट – 'ड' 278–282

भाग-I

स्वचालित ब्लाक पद्धति के खराब हो जाने की अवधि में गाड़ियों के संचालन के लिये नियम व विनियम	278–282
--	---------

भाग-II

एक या उससे अधिक लाइनों के अवरुद्ध होने पर स्वचालित ब्लाक पद्धति के अन्तर्गत गाड़ियों के संचालन के लिये नियम व विनियम जब सिगनल चालू हों और संचार साधन उपलब्ध हों	282–286
---	---------

भाग-III

एक या उससे अधिक लाइनों के अवरुद्ध रहने पर स्वचालित ब्लाक पद्धति के अन्तर्गत गाड़ियों के संचालन के लिये नियम व विनियम जब संचार साधन उपलब्ध न हों और सिगनल भी खराब हों	286–297
--	---------

अनुबन्ध-‘क’ 294–295

अनुबन्ध-‘ख’ 296

अनुबन्ध-‘ग’ 297

परिशिष्ट – ‘च’ 298–351

भारतीय रेलों पर परिचालन फार्मों का मानकीकरण

4.	Line Clear Reply	268
5.	Private Numbers	268
6.	Authority to proceed	269
7.	The Line Clear Ticket	270
8.	Train Message Books	272
9.	Enquiries for Line Clear	273
10.	Replies to Enquiries when Line clear can be given	273
11.	Replies to Enquiries when Trains have to be detain	274
12.	Cancellation Messages	274
13.	Out Reports	276
14.	In Reports	276
15.	Ballast Train Line Clears	276
16.	Failure of Block Telephone and Electric Telegraph	277
	Appendix - 'E'	278-282
	Part – I	
	Rules and regulations for working of trains during failure of the Automatic Block System.	278-282
	Part – II	
	Rules and regulations for working of trains under the Automatic Block System during obstruction of one or more lines when signals are operative and communications are available.	282-286
	Part-III	
	Rules and regulations for working of trains under the Automatic Block System during obstruction of one or more lines when no communications are available and signals have also failed.	286-297
	Annexure- 'A'	294-295
	Annexure-'B'	296
	Annexure-'C'	297
	Appendix - 'F'	298-351
	Standardisation of operating forms on Indian Railways	